सहायक कलेक्टर
SDO

5/1/22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी की उपस्थिति। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगणों को कार्यालय में लगातार बराबर मिलने के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी के बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के इस वाद पत्र के तय होने से वर्तमान में प्रार्थी विवादित जमीन की खातेदार नहीं होने के एकतरफा खातेदार के खिलाफ एकतरफा डिक्री जारी किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली विपक्षी कुमार एकतरफा डिक्री हुआ है।

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:03:20 IST
Reason: SelfAttested